न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–17–दो–2007 विरूद्ध आदेश, दिनाक–18–10–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक–468 / अपील / सी–129 / 2002–2003

1–हरचरण तनय भूरा यादव,

2–सुकरत तनय भूरा यादव,

3–हरप्रसाद तनय भूरा यादव,

4–लच्छी तनय भूरा यादव,

5–चिन्टाई तनय भूरा यादव,

सभी निवासी ग्राम गनेश नगर (तौतेरा) जिला टीकमगढ म0प्र0

निगराकारगण.....

विरूद्ध

1–रमसा यादव तनय मौजी यादव,

2–हल्के यादव तनय मौजी यादव,

3–हरि यादव तनय मौजी यादव,

4–रामदीन तनय मौजी यादव,

5–गोवर्धन तनय मौजी यादव,(नाबालिग वली)

संरक्षक पिता मौजी यादव तनय गोरेलाल यादव,

6–महिला दस्सू पुत्री जग्गू यादव पत्नी छुट्टी यादव,

निवासी धरमपुरा तहसील विजावर जिला छतरपुर ।

गैरनिगराकार..........

श्री नितेन्द्र सिंघई, आवेदक अधिवक्ता

श्री राजेन्द्र खरे, अनावेदक अधिवक्ता

:: **आ दे श ::**

(पारित दिनांक– 29/3/16 2016)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक–18.10.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2. प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम गनेश नगर तौतेला की भूमि खसरा कमांक 692, 693, 702, 704, 836, 844, 818, 820, 821 का पूर्ण भाग एवं सर्वे कमांक 835, 846, 842 एवं 825 के 1/2 भाग पर दुर्जन यादव का नाम तथा शेष भाग पर दूसरे भाई अर्थात हरलाल का 1/2 भाग पर नाम दर्ज था। अभिलिखित भूमि स्वामी दुर्जना एवं उसकी एक मात्र पुत्री मरी बाई तथा मरी बाई के दोनों पुत्र प्यारेलाल एवं बोरा के लॉ औलाद फोत हो जाने की स्थिति में दुर्जना की उक्त विवादित सम्पत्ति के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी दुर्जना के भाई हरलाल के पुत्र भूरा के पुत्र हरचरन यादव (हरलाल यादव के पुत्र के पुत्र) आदि जो प्रकरण में निगराकारगण हैं, हुए। [redacted] संबत 2020 से 2022, 2026 से 2031 एवं 2032 से 2035 व वर्ष 97–98 तक के खसरों में मूल भूमिस्वामी दुर्जना यादव का नाम दर्ज रहा किन्तु सम्वत 2032 से 2035 के खसरा पंचशाला में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के एवं बिना किसी अंतरण पत्र के अवैधानिक रूप से अनावेदिका कमांक 6 महिला दस्सू एवं अनावेदकगण 1 लगायत 5 के पिता मौजी यादव की मां जनकिया का नाम दर्ज हो गया। इसी बीच महिला दस्सू अनावेदिका कमांक 6 द्वारा विवादित भूमि के 1/4 भाग को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.6.98 के माध्यम से मौजीलाल के लड़कों को, जो इस प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 हैं को विकय कर दिया गया। उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर निगराकारगण द्वारा उक्त त्रुटि की सुधार किए जाने हेतु संहिता की धारा

113 के तहत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण क्रमांक 18 / सी–129 / 97–98 एवं प्रकरण क्रमांक 17 / सी–129 / 97–98 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2001 से उक्त त्रुटि सुधार का आदेश देते हुए विवादित भूमि पर संबत 2020–22 की स्थिति में पूर्व भूमिस्वामियों के नाम दर्ज करने एवं उनके मरने की स्थिति में उनके वारिसानों के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गये। अनिुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर टीकमगढ के न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा की गयी जहां पर प्रकरण क्रमांक 23 / अपील / 01–02 में पारित आदेश दिनांक 27.2.03 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.12.01 को यथावत रखते हुए अपील अग्राह्य की गयी। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 468 / सी–129 / 2002–03 पर पंजीवद्ध होकर पारित आदेश दिनांक 18.10.06 से यह आधार लेते हुए कि 20–22 वर्ष पश्चात सुधार का आवेदन देना उचित नहीं हैं अधीनस्थ दोनों न्यायालय कलेक्टर का आदेश दिनांक 27.2.03 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 20.12.01 निरस्त करते हुएं अपील स्वीकार की जाकर पूर्व की स्थिति अभिलेख में कायम कराये जाने के आदेश दिए गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 18.10.06 से दुःखित होकर निगराकारगण द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण में उपस्थित उपरोक्त तथ्यों के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया न जाकर उन पर विचार किया जा रहा है आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में जो सजरा खान दान दर्शाया गया है उसमें भगई (फौत) का सजरा खानदान इस प्रकार बताया गया है कि " भगई के दो पुत्र हरलाल एवं दुर्जन दोनो (फौत) दुर्जन के एक पुत्री मरी (फौत) मरी के दो पुत्र प्यारे व बोरा दोनो (फौत) इस प्रकार दुर्जन का खानदान इसी स्तर पर मुताविक सजरा समाप्त होना परिलक्षित है। इसके साथ ही भगई के दूसरे पुत्र हरलाल के दो पुत्र भूरा एवं सरमना दोनों(फौत) सरमना के एक पुत्री पंखिया जहां पर पंखिया का परिवार समाप्त होना बताया

गया है। हरलाल के दूसरे पुत्र भूरा के आवेदकगण पुत्र बताए गये हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्यों को मुख्य आधार बताया जाकर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में निगरानी मेमो का जो लिखित जबाव प्रस्तुत किया गया है, में यह अंकित किया गया है कि आवेदक द्वारा निगरानी मेमो में जो सजरा खानदान बताया गया है वह मात्र भगई का बताया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि भगई दो सगे भाई थे भगई एवं बल्दुआ। भगई का सजरा खानदान निगरानी मेमो में निगराकारगण द्वारा अंकित किया गया है, आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत सजरा खानदान पर अनावेदकगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी। गैर निगराकारगण द्वारा बल्दुआ का सजरा खानदान इस प्रकार बताया गया है कि भगई एवं बल्दुआ दोनों सगे भाई, बल्दुआ के एक पुत्र जग्गू(फौत) जग्गू के एक पुत्र दो पुत्रियां, गोरेलाल पुत्र(फौत) पुत्री दस्सू, जो जीवित है एवं दूसरी पुत्री जनकिया(फौत) गोरेलाल(फौत) के एक पुत्र मौजी बताया गया है जो अनावेदकगण के पिता थे। इस प्रकार उनके द्वारा मुख्य रूप से यही बताया कि आवेदक एवं अनावेदक एक ही खानदान के व्यक्ति है जिनका विवादित भूमि पर अधिकार था जिसके तहत उनका नाम उस पर अंकित हुआ है वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि महिला दस्सू जो कि अनावेदक कमांक 6 है से रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से भूमि अनावेदकगण द्वारा कय की गयी है। वही यह भी कहा गया कि वास्तविक स्थिति के संबंध में वे बताने में असमर्थ हैं क्योंकि सही स्थिति सजरा खानदान के संबंध में अनावेदक कमांक 6 दस्सू के द्वारा ही बतायी जा सकती है। वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो प्रविष्टि अनावेदक कमांक 6 के पक्ष में की गयी थी जिसका संशोधन आवेदकगण द्वारा चाहा गया था वह प्रविष्टि आवेदन के आधार पर की गयी है वह लिपिकीय भूल नहीं थी जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 113 के तहत लिपिकीय भूल ही सुधारी जा सकती है, सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश से किए गये इन्द्राज को नहीं सुधारा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में पहले समयावधि के बिन्दु पर निर्णय करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा अग्राह्य आवेदन को स्वीकार करने में भूल की थी जिसे

अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो के जबाब आवेदन में अंकित है जिन्हें यहां दुहराया जाकर पुनरांकित नहीं किया जा रहा है, साथ ही इसके संलग्न न्यायसिद्धांतों पर भी विचार किया जा रहा है। उपरोक्त तर्को के साथ निगरानी अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में मुख्य आधार यह लिया गया है कि अनावेदकगण 1 से 5 द्वारा भूमि पंजीयत विकय पत्र के माध्यम से दिनांक 12.6.98 को महिला दस्सू से कय की गयी थी। साथ ही यह भी आधार लिया गया कि इस प्रकार जिन खसरा नम्बरों की प्रविष्टि को लिपिकीय त्रुटि बताया गया है उनके संबंध में सम्बत 2032 से 2035 के बाद लगभग 21 वर्ष पश्चात लिपिकीय सुधार का आवेदन देना संदेह को जन्म देता है। इसके अतिरिक्त यह भी आधार लिया गया है कि बिना सहमति के भी लिपिकीय भूल का सुधार नहीं किया जा सकता। किन्तु अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में इस बिन्दु पर कोई विश्लेषण नहीं किया गया कि महिला दस्सू एवं जनकिया एवं उसके पुत्र गैरनिगराकारगण 1 से 5 क्या वास्तव में विवादित भूमि के हकदार थे एवं उनके नाम भूमि किस अधिकारी के किस आदेश दिनांक से खसरे में अंकित की गयी। जबकि अपर आयुक्त को सर्वप्रथम इसी बिन्दु पर निर्णय लेना चाहिए था कि क्या महिल दस्सू एवं जनकिया के नाम विवादित भूमि पर विधिक अधिकारों के तहत सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज किए गये हैं या नहीं? अपर आयुक्त द्वारा मात्र बिलम्ब के आधार पर निर्णय लिया जाना उचित नहीं है बल्कि उन्हें हक अर्जन के संबंध में विधितः विवेचना कर निर्णय पारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। वहीं उनके द्वारा इस संबंध में भी विवेचना नहीं की गयी है कि नामांतरण से किसी को हक प्राप्त नहीं होता है बल्कि हक के आधार पर नामांतरण किया जाता है। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि जब विकेता के हक के संबंध में जांच एवं विवेचना नहीं की गयी और यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया कि महिला दस्सू जो विकेता है को विक्रय योग्य हित विवादित भूमि में था या नहीं और यदि हक था तो उसे किस प्रकार प्राप्त

हुआ। इस प्रकार जब तक इस तथ्य पर निर्णय नहीं लिया जावेगा तब तक यह नहीं माना जा सकता कि महिला दस्सू को विवादित भूमि में विक्रय योग्य हित प्राप्त था। इस प्रकार अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश पूर्णतः स्थिर रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 18 / सी–129 / 97–98 के संलग्न वर्ष 2021–2022 एवं 2016–2030 खसरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित भूमियां दुर्जना के नाम दर्ज हैं किन्तु जब वर्ष 2033–2035 के खसरा नकलों का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर महिला दस्सू एवं जानकी तनय जग्गू का नाम दर्ज होना पाया गया, किन्तु खसरा नकलों में यह अंकित नहीं है, कि उक्त वर्ष 2033–2035 में महिला दस्सू एवं जानकी का नाम किस अधिकारी के आदेश एवं किस प्रकरण क्रमांक में पारित आदेश से दर्ज किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त अनावेदकगण के तर्क में वर्ष 2015 के खसरों की जो बात उठायी गयी है तो इससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमियां दुर्जना के नाम अंकित हैं उनमें महिला दस्सू एवं जानकी का नाम विवादित भूमियों पर अंकित होना नहीं पाया गया। यह तथ्य अवश्य प्रकट हुआ है कि महिला दस्सू एवं अनावेदकगण की मॉ जानकी तथा आवेदकगण के पूर्वज भगई एवं बल्दुआ एक ही परिवार के सदस्य होना अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में भी गैरनिगराकरगण द्वारा बताए गये हैं। इस प्रकार उक्त विवादित भूमियों पर महिला दस्सू एवं जानकी का नाम किस सक्षम आदेश से अंकित हुए यह जांच का विषय है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश मूक होने के कारण पूर्णतः समाधानकारक नहीं हैं। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि जब बिवादित भूमियों पर विक्रेता महिला दस्सू का नाम किस आधार पर अंकित हुआ यह बिन्दु स्पष्ट नहीं होगा, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि को विक्रय करने का अधिकार महिला दस्सू को था। इस प्रकरण में मुख्य विवाद संहिता की धारा 113 के तहत लिपिकीय त्रुटि को सुधार करने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है तो **धारा 113**–(द्वारका प्रसाद बनाम स्टेट आफ एम. पी. 1993 रा.नि. 52) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि" बिना प्राधिकार के यदि भू–अभिलेख की प्रविष्टियों में यदि परिवर्तन होना पाया जाता है तो इस भूल को

लिपिकीय त्रुटि मानते हुए संहिता की धारा 113 के तहत दुरूस्त किया जा सकेगा"। **धारा 113**–(द्वारका प्रसाद बनाम स्टेट आफ एम.पी. 1993 रा.नि. 52) में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि "मात्र यदि लिपिकीय त्रुटि का मामला हो तो संहिता की धारा 113 के तहत लाभ पाने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना भी दुरूस्ती की जा सकेगी,। **धारा 113–(**दिलीप सिंह बनाम राधेश्याम 1984 रा.नि. 326**) में भी** यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "विधिक स्थिति को स्पष्ट किया गया कि ऐसी त्रुटि जो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती हो अथवा जिसे हितवद्ध पक्षकार अधिकार अभिलेख में होना मंजूर करते हों, उसे अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दुरूस्त किया जा सकेगा"। यहां यह तथ्य विशेष विचारणीय एवं गौर करने योग्य है कि इस तथ्य को अनावेदकगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि की इन्ट्री तो अनावेदक गण के पूर्वज के हित में हुई है वह आवेदन के आधार पर की गयी है किन्तु वे इस तथ्य को स्पष्ट करने में असफल रहे कि किस आवेदन के माध्यम से एवं किस अधिकारी के आदेश से हुई है, जवकि उन्हें इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पर्याप्त अवसर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मिला था जहां वे इसे सिद्ध करने में असफल रहे। ऐसी स्थिति में उक्त त्रुटि स्पष्टतः लिपिकी त्रुटि मानी जावेगी, क्योंकि इस संबंध में अनावेदकगण अपनी बात को, जो उनके द्वारा अपने तर्क में कही गयी है, को सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी विचारणीय है कि अनावेदकगण को अपने हित में पक्षसमर्थन करने का पर्याप्त अवसर अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपलब्ध था एवं मिला भी था अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 7.2.2001 एवं 23.3.2001 तथा 8.5.2001 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक को साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाकर प्रतिपरीक्षण किया गया है। आदेश पत्रिका दिनांक 26.5.01 से 24.9.01 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। जहां वे विवादित भूमि में अपने हित एवं स्वत्व अर्जन के बिन्दु को सिद्ध करते, किन्तु वे इसे सिद्ध एवं प्रमाणित करने में असफल रहे, वे यह भी सिद्ध करने में असफल रहे कि विवादित भूमि में विधिक हित किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी थे। इस संबंध में (भागीरथ वि0 म0प्र0 राज्य 2003, रा.नि. 28 राजस्व मण्डल) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "संहिता की धारा 49–यदि कोई पक्षकार दिए गये सुनवाई के अवसर का लाभ उठाने में

उदासीन रहा हो, तो उसे पुनः सनवाई का अवसर प्रदाय करना न्यायोचित नहीं। प्रकरण प्रतिप्रेषित विधि के विपरीत नहीं किया जा सकता। यहां यह स्पष्ट है कि अनावेदकगण को पर्याप्त एवं समुचित अवसर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपलब्ध रहा है, किन्तु वे इस तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहे है कि वे विवादित भूमि में किस प्रकार से हक रखते थे तथा उनके नाम भूमि किस प्रकार से इन्द्राज हुई। जबकि भूमि का इन्द्राज किसके आदेश से हुआ इसे सिद्ध करने का दायित्व गैरनिगराकारगण का था। यहां यह तथ्य भी विशेष उल्लेखनीय एवं विचारणीय है कि उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत सजरा में आवेदकगण के पूर्वज भगई एवं अनावेदकगण के पूर्वज बल्दुआ दोनों एक ही पिता की संतान थे, किन्तु भगई के दो पुत्र दुर्जन एवं हरलाल थे एवं बल्दुआ के एक पुत्र जग्गू थे, इस प्रकार भगई के पुत्र दर्जन की संपत्ति का हक भगई की अग्रज पीड़ी के हितधारी आवेदकगण को ही होगा । बल्दुआ की अग्रज पीड़ी अनावेदकगण को नहीं क्योंकि दोनों ही व्यक्तियों भगई एवं बल्दुआ की परिवार इकाइयां प्रथक–प्रथक हो गयी थी। इस प्रकार भगई की शाखा के व्यक्ति दुर्जन की संपत्ति के हकदार आवेदकगण ही होंगे बल्दुआ की शाखा के व्यक्ति अनावेदकगण नहीं। वैसे भी अनावेदकगण इस तथ्य को सिद्ध करने में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने के बाद भी असफल तो रहे ही है साथ ही इस न्यायालय राजस्व मण्डल में भी वे इसे समुचित पक्षसमर्थन का अवसर प्राप्त होने के बाद भी प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। इसी प्रकार (मनरजुआ वि. गुलाबराय 1977 रा.नि. 416 हा.को. एवं चीफ म्यूनिशिपल आफीसर टीकमगढ वि. रामप्रसाद 1975 रा.नि. 183) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "वैध हित का अर्जन होना चाहिए या वैध अधिकारों का अर्जन होना चाहिए–यदि विक्रेता को विक्रीत भूमि में अधिकार ही नहीं है तब क्रेता को कोई हक अर्जित नहीं होता (आवेदक को बताना चाहिए कि हक किससे अंर्जित हुआ, किससे प्राप्त किया)"। उन्हें हक किससे प्राप्त हुआ यह बताने में अनावेदकगण असफल रहे हैं। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि अवैध हक अर्जन के आधार पर हुए नामांतरण से हक अर्जित नहीं होता। इस संबंध में (सुखदेव काटन प्रेस उज्जैन वि. स्टेट म.प्र. 1995 रा.नि.100) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "नामांतरण का उद्येश्य अभिलेख को अद्यतन रखना है नामांतरण किसी प्रकार का हक प्रदान नहीं करता है अपितु यह विधितः विधि के अनुसार अर्जित हक को

मान्यता देता है"! (बाला प्रसाद वि. प्रेमनारायण 1998 रा.नि.231 रे.बो.) में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्व न्यायालय न तो स्वयं सिविल कोर्ट का कार्य करेगी और न टाइटिल की घोषणा करेगी और न विशिष्ट सहायता का प्रश्न हल करेगी और न अभिकथित धोखा या तथ्यों को गलत रखने के आधार पर संविदा रद्द करेगी वह तो केवल इस तथ्य पर निष्कर्ष देगी की स्वत्व विवादित भूमि में किसको पहुंचता है उसी के अनुसार नामांतरण करेगी"। उपरोक्त न्यायसिद्धांतों के अनुसार यह स्वयं सिद्ध एवं प्रमाणित तथा स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि भगई के शाखा के व्यक्ति दुर्जन के नाम थी जिसे प्राप्त करने का हक सिर्फ और सिर्फ सहज न्याय के सिद्धांतों एवं नैसर्गिक न्याय के अनुसार आवेदकगण का ही है। बल्दुआ की शाखा के सदस्य दस्सू एवं जनकिया उसे प्राप्त करने का किसी भी स्थिति में हक नहीं रखती हैं और जब दस्सू एवं जनकिया को ही हक नहीं था तब ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को विवादित भूमि प्राप्त करने का भी हक उत्पन्न नहीं होता है।

उक्त तथ्यों एवं प्रकरण में विद्यमान विवाद के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.12.01 के पैरा कमांक 4 एवं 6 में स्पष्ट एवं विस्तृत विवेचना की गयी है, जिसके अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण के दौरान उभयपक्ष को पर्याप्त पक्षसमर्थन का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी उभंयपक्ष को दिया गया हैं जहां दोनों पक्षों द्वारा अपने स्वयं के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए एक दूसरे की ओर से प्रस्तुत साक्षियों का प्रतिपरीक्षण भी किया जाना परिलक्षित है। गैरनिगराकार रमसा द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि "विवादित भूमियां जग्गू के नाम किस प्रकार आयी उसे इसका पता नहीं हैं" वहीं निगराकारगण की ओर से बताए गये सजरे का भी उनके द्वारा कोई खण्डन न करते हुए इसे स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में उपस्थित विवाद में अनुविभागीय अधिकारी विचारण न्यायालय की प्रास्थिति में होने के कारण उनके द्वारा विधिवत साक्ष्य आदि का एवं साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर उभयपक्ष को दिया जाकर निष्कर्ष निकाले गये हैं जो संवैधानिक एवं नैसर्गिक न्याय के अनुरूप प्रतीत हो रहे हैं। उक्त तथ्यों के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की **धारा** 17 एवं 21 के कम में (केशव प्रसाद बनाम बृजभूषण 2007 85 उ.न्या.) में

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "क्या दस्तावेंज में की गयी स्वीकृति पक्षकार के बिना भी उपयोग में लाई जा सकती है, यह बिन्दु विचारणीय था इस संबंध में सकारात्मक मत दिया गया"। इसी प्रकार **धारा** 31 (बृजकिशोर बनाम नारायण 2000 रा.नि.199 उ.न्या.) में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " जो तथ्य अभिबचन में स्वीकार कर लिया गया हो, उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं मानी गयी"। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गैरनिगराकार द्वारा अपने कथन एवं प्रतिपरीक्षण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि दस्सू के नाम किस प्रकार आयी उसे जानकारी नहीं हैं वहीं उनके द्वारा निगराकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खण्डन भी नहीं किया गया। इससे यह तो स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर दस्सू एवं जनकिया का नाम लिपिकीय त्रुटिवस अंकित हो गया है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 एवं 114 के अनुसरण में (म.प्र.राज्य सहकारी बैंक बनाम कल्याण सिंह 1997 रा.नि. 67) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " सारवान साक्ष्य जिस पक्षकार के आधिपत्य में हों और यदि वह उसे प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके प्रतिकूल अनुमान निकाला जावेगा। उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि गैरनिगराकारगण विवादित भूमि दस्सू एवं जनकिया के नाम किस प्रकार आयी के अभिलेखीय तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। (काशी प्रसाद बनाम भूरा 1981 जे.एल.जे. 136 डी.बी.हा.को.) जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि "अनुविभागीय अधिकारी / प्रथम अपीलीय न्यायालय तथ्यों के संबंध में अंतिम न्यायालय है, उसे साक्ष्य पर स्वतंत्रतः पूर्ण रूपेण विवेचना करना चाहिए"। तो इस न्याय सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय कलेक्टर द्वारा अपने आदेशों में साक्ष्य एवं साक्षियों के प्रतिपरीक्षण आदि के आधार पर पूर्ण रूपेण विवेचना कर आदेश पारित किये गए हैं जो विधिसंगत हैं।

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य पर विचार एवं विवेचना नहीं की गयी कि महिला दस्सू एवं जनकिया बल्दुआ की शाखा (परिवार इकाई) के उत्तराधिकारी हैं फिर उन्हें भगई की शाखा (परिवार इकाई) के सदस्य दुर्जना के नाम की भूमि पर हक एवं इन्द्राज किस प्रकार प्राप्त हुआ, यह स्वयं सिद्ध है कि यह विवादित भूमि पर इन्द्राज बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के त्रुटिवश हुआ है, जो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता

है। इस प्रकार विवादित भूमि की विक्रेता महिला दस्सू को विवादित भूमि में विक्रय योग्य हक किस प्रकार पहुंचता है, वही इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि अनावेदकगण की मां जानकी के नाम भूमि किस प्रकार से आयी। मात्र बिलम्ब के आधार पर यह कह देना कि 21 वर्ष पश्चात त्रुटि सुधार का आवेदन देना अपने आप में संदेह को जन्म देता है पर्याप्त नहीं है, इस संबंध में (सु.को. ने 2002(11) एम.पी.जे.आर. 36(डी.बी.सु.को. म्युनिशिपल कार्पो.ग्वालियर वि. रामचरन) में **जहां अपील में विधि का प्रश्न विचारणीय हो ऑन मेरिट सुना जाना न्याय हित में होगा–में** यह करार दिया गया है कि "हाईकोर्ट को अपील में बिलम्ब क्षमा करने के आवेदन पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात सु.को. ने यह करार दी कि जहां अपील में विधि का प्रश्न विचारणीय हो वहां अपील ऑन मेरिट सुनी जाना न्यायहित में होगा इस निर्णय का तात्पर्य यह है कि पक्षकार ऑन मेरिट न्यायपास के और अपील वेरूम्याद होने के आधार पर वह न्याय से वंचित नहीं हो सके"। इसके साथ ही अपर आयुक्त को हक अर्जन के तथ्य पर भी विचार एवं विवेचना तथा विश्लेषण किया जाना चाहिए था, तत्पश्चात निर्णय गुण दोष के आधार पर लिया जाना चाहिए था, जिसका सम्पूर्ण विवेचना में अभाव पाया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गहन एवं विधिक तथ्यों को ध्यान में रख कर तथ्यपरक विवेचना प्रकरण में नहीं की गयी है और न ही अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निकाले गये निष्कर्षो की ओर ही ध्यान दिया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 50 पुनरीक्षण में मामले को निपटाने के संबंध में (1985 रा.नि. 441 हा.को. आधारित, सुरेश कुमार वि. बाबूलाल गुप्ता, 2005 रा.नि. 416, द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव एम. बी.आर.) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "धारा 50 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मामला विस्तृत रूप से निपटाना चाहिए संक्षेपतः नहीं, आक्षेपित आदेश के अलावा रिकार्ड पर कोई अन्य अवैध ~~आदेश~~ तथा अनुचित (illegal and unjust) आदेश पाया जाता है, तो उसे भी पुनरीक्षित किया जा सकता है" के अनुसरण में उपरोक्त विवेचना एवं न्यायसिद्धांतों तथा विस्तृत विश्लेषण के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश विधितः स्पष्ट एवं बोलता हुआ न होने से स्थिर रखं जाने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 18.10.06 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हो।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जावे । प्रकरण दा.रि. हो।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,ग्वालियर